

न्यायालय—दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—148 / 2017
संस्थित दिनांक—07 / 04 / 2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

ललित उर्फ बब्लू पिता नेहरुलाल बघेल
उम्र 29 वर्ष जाति पवार निवासी खोल्हवा
थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक—03 / 01 / 2018 को घोषित)

1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 323, 506 भाग—2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—25 / 03 / 2017 को समय 18:30 बजे फरियादी अर्जुन बिसेन के खेत की मेढ़ ग्राम खोल्हवा बैहर में लोक स्थान पर फरियादी को माँ-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी के साथ कुल्हाड़ी से बक्खे में मारकर फरियादी को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित कर फरियादी को हाथ मुक्के से मारकर उसे नाक में स्वेच्छया साधारण उपहति कारित कर फरियादी को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया।

2— प्रकरण में अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 राजीनामा योग्य नहीं होने से इस धारा में अभियुक्त पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।

3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी अर्जुन बिसेन ने पुलिस थाना बैहर में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि उसके खेत से अभियुक्त ललित उर्फ बब्लू बघेल का खेत लगा हुआ है। मेढ़ में साजा, जामुन और आंवला के पेड़ लगे हैं। अभियुक्त करीब 10 वर्षों से साजा के पेड़ को काटते चला आ रहा है फरियादी ने उक्त अवधि में उसे नहीं रोका था। दिनांक 25.03.2017 को शाम 06:00 बजे अभियुक्त मेढ़ में लगे जामुन और आंवला के पेड़ को काट रहा

था तब फरियादी ने उसे मना किया था तो अभियुक्त फरियादी को माँ-बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा था एवं अभियुक्त ने हाथ में रखी कुल्हाड़ी से फरियादी को मार दिया था, जिससे फरियादी के बक्खे में पीछे तरफ चोट आयी थी। अभियुक्त ने फरियादी को हाथ मुक्का से मारा था, फरियादी को नाक में चोट आयी थी। अभियुक्त कहने लगा था कि अब पेड़ काटने से मना किया तो वह फरियादी को जान से खत्म कर देगा। फरियादी वहां से भागकर उसके घर गया था, घटना की बात पड़ोस की कुशमाबाई बिसेन, फरियादी की मां गुनाबाई और फरियादी की पत्नि को बतायी थी। पुलिस ने फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराया था। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना बैहर ने अपराध क्रमांक-44/2017 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

4- प्रकरण में अभियुक्त पर निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया, समझाया था तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-25/03/2017 को समय 18:30 बजे, फरियादी अर्जुन बिसेन के खेत की मेढ़ ग्राम खोलहवा बैहर में फरियादी के साथ कुल्हाड़ी से बक्खे में मारकर फरियादी को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

-:विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6- अर्जुनलाल बिसेन अ.सा.01 का कहना है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना दिनांक 25.03.2017 की छः बजे की उसके खेत की ग्राम खोलहवा बैहर की है। अभियुक्त से पेड़ काटने की बात पर से उसका विवाद हो गया था एवं झूमाझटकी हो गयी थी, जिससे वह गिर गया था। इस कारण साक्षी ने थाना बैहर में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लिखा दी थी, जो प्र.पी.01 है। पुलिस ने साक्षी की निशांदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.02 बनाया था। पुलिस ने साक्षी के कथन लिये थे। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्त से

राजीनामा हो गया है। साक्षी की साक्ष्य से ऐसे कोई तथ्य नहीं आये हैं जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन होता हो। अर्जुनलाल बिसेन अ.सा.01 ने अभियुक्त से राजीनामा करने के कारण उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य को देखते हुए एवं राजीनामा होने के कारण अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं कराई है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में परीक्षित कराये गये साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को कुल्हाड़ी से बक्खे में मारकर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की थी। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

7— प्रकरण में अभियुक्त के जमानत/मुचलके भारमुक्त किये जावें।

8— प्रकरण में धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट म.प्र.

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट म.प्र.